न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

(पिठासीन अधिकारीः— मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 11 / 2020 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक 02.03.2020
निर्णय दिनांक 15.09.2020

अनवान

1. शंकर मुतबन्ना मेघा जाति कुम्हार निवासी कुरज तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम कुरज, तहसील रेलमगरा की सरहद में स्थित आराजी सख्या 987, 988 कुल किता 02 कुल रकबा 09 बिघा 10 बिस्वा भूमियां स्थित थी। प्रार्थी की आराजी सख्या 987,988 कुल किता 02 कुल रकबा 09 बिघा 10 बिस्वा के बीच में व उक्त आराजीयात् के चारो तरफ किसी प्रकार का कोई सीमाकंन बाबत् स्थाई रूप से कोई चिन्ह अंकित नहीं है न ही मौके पर विद्यमान है जिससे प्रार्थी की आराजीयात् के पडोसियों के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की आंशका बनी रहती है जिससे प्रार्थी अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की आराजीयात् के चारो तरफ स्थाई रूप से सीमांकन के रूप में पत्थरगड्डी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में कभी सीमा संबंधित प्रार्थी के बीच एवं अन्य पडोसियों के बीच कोई विवाद नही हो। इस बाबत् प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की आराजी सख्या 987 व 988 कुल किता 02 कुल रकबा 09 बिघा 10 बिस्वा व इन आराजीयात् के चारो तरफ के

पडोसियों की आराजीयात् के बीच किसी प्रकार के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडोसी आये दिन सीमा संबंधित विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थी ने विपक्षी को प्रार्थी की आराजी में स्थाई सीमांकन चिन्ह के लिए निवेदन किया गया किन्तु विपक्षी के द्वारा आप न्यायालय के आदेशानुसार ही स्थाई सीमांकन चिन्ह किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 10/01/2020 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी सख्या 987 व 988 के बीच एवं इन आराजीयात् के चारो दिशाओ की आराजीयात् के मध्य पत्थर गड्डी कराने का आदेश तहसीलदार साहब रेलमगरा के नाम पर फरमाया जावें ।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षी की ओर से पेराकार सरकार ने उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने हेतु अन्नापति जाहीर की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज के आराजी संख्या 987 व 988 के चारो दिशाओ की पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा